


2519119



पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर से प्राप्त टिप्पणी एवं अपील मीमो का अवलोकन किया गया। अपीलान्त/प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अनुसार वांछित सूचना बाबत पूर्ण विवरण स्पष्ट एवं सटीक तथ्यों का उल्लेख किये बिना सूचना चाहे जाने से सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं होने बाबत लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्त/प्रार्थी को पत्र दिनांक 4.09.2019 से सूचित किया गया है। तदनुसार अपीलान्त/प्रार्थी स्पष्ट, पूर्ण विवरण सहित सटीक तथ्यों का उल्लेख के सूचना प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपील अपीलान्त इसी कदर से निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

3338-39
22/10/19


(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलेक्टर, अजमेर